न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या :– 57/2020

1. कैलाशचन्द्र पिता लादूलाल जाति रेगर निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ
2. भैरूलाल पिता लादूलाल जाति रेगर निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ
3. रतनी पुत्री लादूलाल जाति रेगर निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ
4. श्रीमति मांगीबाई पत्नि लादूलाल जाति रेगर निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ
5. काना पिता कजोड जाति रेगर निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. रतनलाल पिता डालचंद जाति रेगर निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ
2. अमरचंद पिता कजोड जाति रेगर निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ
3. उदयलाल पित ानान जी जाति रेगर निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ
4. सोहन पिता उदयलाल जाति रेगर निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ
5. शंकरलाल पिता मांगीलाल जाति रेगर निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ
6. भैरू पिता बीरम जी जाति रेगर निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ
7. मोहन पिता कालू जी जाति रेगर निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ
8. उदयलाल पिता कालु जाति रेगर निवासी कनकपुरा तह0 बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री तूफान सिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश दिनांक :– 28.10.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज0टी0एक्ट का न्यायालय श्रीमान में पेश किया है जो इतने ठोस तथ्यो पर आधारित है जो अवश्यक ही प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होगा लेकिन उसके निस्तारण में समय लगने की संभावना होने से तब तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

यह कि मौजा कनकपुरा पटवार हल्का खेडी की निम्न कृर्षि आराजीयात प्रार्थीगण की तन्हा स्वामित्व आधिपत्य की भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीगण पैत्रिक रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है एवं उक्त कृर्षि आराजीयात प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

खतौनी संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
69	47	0.3100
	48	0.0200
	79	0.6600
	80	0.4000
	89	0.0200
	91	0.0200
	92	0.0300
	93	0.6700
कीता–8	रकबा	2.3100 हैक्टर

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृर्षि आराजीयात प्रार्थीगणस के खातेदारी हक की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण वर्तमान में फसल बुवाई की है तथा प्रार्थीगगण उक्त भूमि का अर्सा वर्षो से शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है।

यह कि दिनांक 01.09.2020 को शाम को 5–6 बजे करीबन विपक्षीगण सभी हम सलाह होकर जबरन अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर अपने साथ ट्रेक्टर में पत्थर भर कर लाये जिनको प्रार्थीगण की खातेदारी की कृर्षि आराजीयात में डाल दिया जिस पर प्रार्थीगण ने उनको मना किया तो विपक्षीगण प्रार्थीगण से लडाई झगडा करने लग गये एवं विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि हम तो अब तुम्हारे खेत में पक्का निर्माण करेगें इस प्रकार विपक्षीगण प्रार्थीगण की प्रार्थना

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

वर्णित कृषि आराजीयात के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में दखलंदाजी कर रहे है जिनका कि प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

यह कि प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर विपक्षीगण को दखलंदाजी उत्पन्न करने का कोई हक अधिकार नहीं है फिर भी विपक्षीगण प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि आराजीयात पर जबरन अनाधिकार रूप से पक्का निर्माण कार्य कराने व पत्थ्जर डालने पर आमादा हो रहे है इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। यह कि विपक्षीगण द्वारा दी गई धमकियो के अनुसार यदि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर अवैध रूप से अतिकमण कर निर्माण कार्य करवा दिया तो प्रार्थीगण अपने हक अधिकारो वच्छित हो जावेगें एवं प्रार्थीगण के उक्त भूमि के खातेदारी हक अधिकार समाप्त हो जावेगा जिससे परिवार का जीवन संकट मय हो जावेगा। यदि विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद नहीं किया गया तो विपक्षीगण प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर देगें जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन किया जाना संभव नहीं है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वादपत्र के निस्तारण तक उक्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित आराजी संख्या 47, 48, 79, 80, 89, 91, 92, 93 कीता–8 रकबा 2.1300 हैक्टर भूमि मे प्रार्थीगण के निहित हक हिस्सें व कब्जेकाश्त की भूमि में शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें न अपने नौकर एजेन्ट आदि करावें जिस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने हु आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर वादजॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में विपक्षीगण संख्या 1 से 8 तक के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए तथा विपक्षी संख्या 5, 6, 8 की ओर अधिवक्ता श्री राजसिंह चुण्डावत द्वारा मूल वाद में अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जबकि विपक्षी संख्या 07 की ओर से अन्डरटैकिंग लीगई। अधिवक्ता श्री राजसिंह द्वारा विपक्षी संख्या 07 की ओर से अपना अधिकार प्रस्तुत नहीं करने एवं विपक्षी संख्या 7 न्यायालय में बावजूद सूचना के उपस्थित न होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। साथ ही विपक्षी संख्या 5 , 6, 8 को इस प्रार्थना पत्र के जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर , अंतिम अवसर एवं कोस्ट पर अवसर दिये जाने पर भी उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब प्रार्थना पत्र बंद किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये तथा प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी के न्यायालय मे उपस्थित न होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। शेष विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित न होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश पूर्व में दिये जा चुके है।

इस प्रकार प्रकरण में विपक्षीगण के उपस्थित न होने एवं कोई जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न होने पर प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र के अनुसार ही निवेदन क रते हुए विपक्षीगण को प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि आराजी में जबरन दखलंदाजी नहीं करेन हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस को सुने जाने के उपरान्त हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी एवं प्रार्थी कैलाशचन्द्र की ओर से थाना अधिकारी को दिये गये प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना के निस्तारण हेतु मुख्य तीन विन्दु जो प्रतिपादित है उन पर निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> ::–

प्रार्थना पत्र पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा कनकपुरा पटवार हल्का खेडी सम्वत 2078 का अवलोकन किये जाने पर पाया कि प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी संख्या 47, 48, 79, 80, 89, 91, 92, 93 कीता–8 कुल रकबा 2.1300 हैक्टर भूमि के खातेदार प्रार्थीगण दर्ज अंकित है। साथ ही नक्शाट्रेस आराजी का एवं प्रार्थी कैलाशचन्द्र द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र जिला पुलिस अधीक्षक चितौडगढ को लिखा गया है उसकी प्रति इस प्रार्थना पत्र पत्रावली मे प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात के खातेदार कृषक है, तथा विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि में जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया था जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा पुलिस में भी कार्यवाही की गई थी, चूँकि वर्णित कृषि भूमि के खातदोर कृषक प्रार्थीगण है उनके खातेदारी एवं कृषि में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी करने का अधिकारी विपक्षीगण को नहीं होता है। प्रार्थीगण विपक्षीगण को अपने खातेदारी की भूमि की रक्षा करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। प्रकरण मे विपक्षीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है ना ही वे न्यायालय में उपस्थित ही आये है। इस प्रकार दस्तावेजी सक्ष्य के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

सुविधा का सन्तुलन ::–

मौजा कनकपुरा प0ह0 खेडी की प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी संख्या 47, 48, 79, 80, 89, 91, 92, 93 कीता–8 कुल रकबा 2.1300 हैक्टर भूमि के खातेदार प्रार्थीगण होकर अपनी कृषि भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग अपने अपने हिस्से अनुसार कर रहे है, विपक्षीगण को प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर जबरन दखलंदाजी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के कृषि भूमि में जबरन दखलंदाजी की तो निश्चित ही प्रार्थीगण को नुकसान होना संभव है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही सिद्ध होता है।

3– अपूर्तनीय क्षति ::–

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि के खातेदार कृषक प्रार्थीगण है, जो अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज होकर कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है, यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त की कृषि भूमि में जबरन ही प्रवेश करते हुए कब्जा कर लिया तो निश्चित ही प्रार्थीगण को आर्थिक क्षति होगी जिसका मुल्यांकन संभव नहीं होगा , वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के परिवार के पालन का मुख्य साधन है। विपक्षीगण को प्रार्थीगण की कृषि भूमि में जबरन प्रवेश न करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने में विपक्षीगण को कोई क्षति नहीं होती है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही सिद्ध होता है।

इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के अनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु तीनों ही मुख्य बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष तें सिद्ध होकर प्रार्थीगण विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण संख्या 1 से 8 तक को मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खातेदारी एवं उपयोग उपभोग की कृषि आराजी मौजा कनकपुरा प0ह0 खेडी की कृषि आराजी _संख्या 47, 48, 79, 80, 89, 91, 92, 93 कीता–8 कुल रकबा 2.1300 हैक्टर भूमि मे न तो स्वयं प्रवेश करें न अपने नौकर, एजेन्ट आदि से ही प्रवेश करावें प्रार्थीगण की कृषि भूमि में उनके शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें न करावें।

आदेश आज दिनांक 28.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूं